//कार्यालय कलेक्टर ,जिला अलीराजपुर (म.प्र.)//

क्रमांक/2670/स्थापना/2016 अलीराजपुर, दिनांक 12/7/16

—: आदेश :—

म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 8—2/2013/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 22 फरवरी 2014 में गये दिये गये निर्देशानुसार निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति के लिए व्यापम के माध्यम से भर्ती करने की शर्त से छुट प्रदान करते हुए वॉक—इन—इंटरव्यू के माध्यम से तथा म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप दिनांक 01 अप्रैल 2005 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत एवं शासन के अन्य आदेशानुसार जिला अलीराजपुर राजस्व विभाग अंतर्गत नियमित तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड—3 (दृष्टिबाधित) निःशक्तजनों के रिक्त आरक्षित पद पर अस्थाई रूप से श्री इतेन्द्र पिता रामेश्वर शाक्य निवासी ग्राम जाफराबाद पोस्ट इमलिया (छैरा) तहसील जौरा जिला मुरैना को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर वेतनमान 5200—20200+1900 ग्रेड—पे पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कार्यालय कलेक्टर जिला अलीराजपुर में निम्नांकित सेवा शर्तो के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है :—

1. आवेदक को अपनी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र/दस्तावेज की छायाप्रति कार्यालय प्रमुख को अभिलेख में सुरक्षित रखने हेतु उपलब्ध करावेगें।
2. उक्त नियुक्ति अत्यंत अस्थायी रूप से की गई है। उक्त नियुक्ति कभी भी एक माह की पूर्व सूचना पर अथवा एक माह के वेतन पर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित को सेवा त्यागने पर एक माह का वेतन जमा करना होगा। अथवा एक माह पूर्व सूचना विभाग को देना होगी।
3. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा मे जारी किये जा रहे है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपार्ट मे आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते है तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
4. म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/एफ 8—3/2013/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 17 जुलाई 2014 के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व आपको मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण—पत्र का परीक्षण जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से कराया जाए। यदि जांच में 40% या अधिक निःशक्तता पाई जाती है तो ही आपको कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा अन्यथा नही। वर्तमान जिला मेडिकल बोर्ड (फिटनेस) परीक्षण की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगें।
5. संबंधित को पदांकित संस्था में आदेश के दिनांक से 15 दिवस के भीतर उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
6. राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों को पारिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनायें जाए और उन्हें लागू किया जावें के अध्यधीन रहेगें।
7. समय—समय पर जारी शासनादेश एवं प्रावधान लागू होगें।

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ.क्रमांक / 2671 / स्था0 / 2016 अलीराजपुर,दिनांक 12/07/16

प्रतिलिपि :-

1. सचिव म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख राजव प्रमुख राजस्व आयुक्त प्लांट नं-220 राहत भवन प्रथम तल) अरेरा हिल्स म.प्र. भोपाल
4. प्रमुख राजस्व आयुक्त
5. आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर ।
6. विषेष रोजगार अधिकारी , रोजगार कार्यालय जबलपुर।
7. प्रभारी अधिकारी वित्त-2 जिला कार्यालय अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला कोषालय अधिकारी अलीराजपुर।
9. जिला मेडीकल बोर्ड अलीराजपुर/......................................की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला रोजगार अधिकारी अलीराजपुर/झाबुआ
11. संबधित श्री इतेन्द्र पिता रामेश्वर शाक्य निवासी ग्राम जाफराबाद पोस्ट इमलिया (छैरा) तहसील जौरा जिला मुरैना की ओर सूचनाथ एवं पालनार्थ।
12. संबधित की व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर